

जज अदालत अदालत मुकाम रौली
जज अदालत बनाम शाहन शाहन
 किस्म मुकदमा नं. _____ सन् _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

	<p>14¹¹ अमिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक ...11... को पेश हो 15²² को पेश हुआ</p> <p>15¹¹ पत्रावली पेश हुई वकीलवादी अफा पेंचोकार मख्तार का पत्रावली शामिल पत्रावली है वकीलवादी ने तरलीकी प्रतिवादी से उली. 8 का नाम हफ करने व मुझे कोई कबुलौष नही पाने का निवेदन किया। जिनके अलावा कोई शिका है वकीलवादी अफा प्रतिवादी से उली. 8 से कोई कबुलौष नही पाने जाने की मख्तार पर तरलीकी प्रतिवादी से उली. 8 का नाम हफ किया जात है। पत्रावली वाले बहम हेतु दिनांक 16/11/22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">अदालत</p>	<p>तरलीकी प्रतिवादी से उली. 8 का नाम हफ कर दिया जो मुझे उतार से कोई अनुवाह नही चहते</p> <p style="text-align: right;">अदालत 15/11/22</p>
16 ¹¹	<p>पत्रावली पेश हुई वकीलवादी अफा पेंचोकार मख्तार अफा</p>	

प्रां पत्र 212 RA सेवन की बरस हुई
 गई। बरस में वकीलवादी ने निवेदन
 किया कि तरलीवी प्रीतिवादी से. उ ली. 8
 से कोई अग्रुणेष नही चाहिए। पैरोकर
 सवकास का जवाब आ गया है। इसलिए
 मेरिट पर निर्णय रम कर देवे।

वकीलवादी की बरस पर मजबूत किया
 गया एवं पत्रावली का कवलोम्ब
 किया गया। इसके तरलीवी प्रीतिवादी
 से वादीगण को कोई अग्रुणेष नही
 चाहिए। इसलिए सवकास उ ली. 8
 के अर्द्ध धारा 212 RA सेवन का
 कोई कोटिब नही रहता है। पैरोकर
 सवकास का जवाब का प्रस्ताव इसलिए
 प्रां पत्र 212 RA सेवन न्यायादेश में
 स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फंसाव
 अग्रुणेष होकर रजिस्ट्रार से का की जाती।
 खेतान सुलवा है।